शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

तीन तलाक़ और मुस्लिम महिला

प्राप्तिः 01.06.2022
स्वीकृतः 15.06.2022

54

सनिया ख़ानम
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
इस्माईल नेशनल पी०जी० कॉलिज
मेरठ (उ०प्र०)
ईमेलः *jamal_siddiqui2004@yahoo.co.in*

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में मुस्लिम समाज में तलाक व इससे सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस्लाम धर्म में तलाक का क्या प्रावधान है तथा किन परिस्थितियों में तलाक दी जा सकती है इस का उल्लेख किया गया है। भारत के कानून में तलाक सम्बन्धि क्या प्रावधान है इस पर भी चर्चा की गई है। राजनैतिक पार्टियों के विभिन्न मतभेदों का भी वर्णन करने का प्रयास किया गया है। पति पत्नी के अधकारों पर भी चर्चा की गई है।

मुख्य बिन्दु

तलाक, मुस्लिम महिला, इस्लाम धर्म, कुरान।

तलाक एक अधिकार है जो इस्लाम के द्वारा दिया गया है– अपनी बीवी को देने के लिए। अगर उनकी शादी कुछ कारणों से आगे नहीं चल सकती तो यह अधिकार इस्लाम धर्म में मुस्लिम पति को दिया गया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तलाक़ खुला से मिलता जुलता है– खुला भी एक अधिकार है जो मुस्लिम महिला को दिया जाता है अपने पति से अलग होने के लिए। अगर पत्नी चाहती है कि वह अपने पति के साथ रहना पसंद नहीं तो उसको यह अधिकार है कि वह अपने पति से खुला ले सकती है।

तलाक़ और खुला में अंतर

खुला में मुस्लिम महिला को इस्लाम में ज्यादा आज़ादी और अधिकार मिला है, पत्नी खुद मौखिक रूप से कहकर खुला मांग सकती है, मगर तलाक़ में तीन माह तक का इंतजार करना पड़ता है। तलाक़ या खुला इस्लाम धर्म के अनुसार वैध होना चाहिए, जिसकी वेधानिक्ता सिद्ध की जा सके। इसमें ये ज़रूरी है कि तलाक़ किन कारणों से दिया जा रहा है और यह कारण ठोस होने चाहिए, ऐसा न हो कि बेवजह के कारणों से तलाक़ दिया जा रहा है, वर्ना कयामत के दिन उसकी पकड़ होगी और इसके लिए हिसाब भी लिया जाएगा। इसलिए तलाक़ देने का कोई ठोस कारण होना चाहिए क्योंकि इसमें एक रिश्ते का अंत हो रहा है।

तीन तलाक़ का मतलब

तीन तलाक का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तीन बार तलाक़, तलाक़, तलाक़ कहा जाए और तलाक़ हो गया। इसमें मुस्लिम पति को तीन माह का इंतजार करना पड़ता है और अगर इस दौरान उनका मन बदलमा है तो उनकी शादी वैसी ही बनी रहेगी। अगर इन तीन माह में वह यह शादी नहीं रखना चाहते तो यह शादी समाप्त हो जाएगी।

1. पहली बार में पति, पत्नी खुद समझौता करें कि उन्हें अलग होना है या नहीं।
2. दूसरी बार में वह खुद या उनके परिजनों के द्वारा पति–पत्नी के बीच समझौता कराया जाए, अगर इस बीच दोनों में समझौता हो जाता है तो उनकी शादी ठीक पहले जैसी ही रहेगी।
3. यह तीसरा और आखरी फैसला होगा, और यह मुस्लिम पति के लिए बहुत कठिन हो जाता है।

तीसरी बार में उनके इस शादी के रिश्ते का समाप्त हो जाना होगा। अगर इसके बाद भी वह अपने पति के पास जाना चाहे तो वह तभी जा सकती है जब वह महिला या तो किसी अन्य पुरुष से निकाह करे उसके बाद वह पुरुष उस महिला को अपनी मर्ज़ी से तलाक़ दे या फिर उस महिला का जिससे उसने निकाह किया है उस पुरुष की मृत्यु हो जाए, तभी इस महिला से उसका पहला पति निकाह कर सकता है, वरना नहीं। आज इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम और अन्य धर्म के लोगों में काफी गलतफहमी है कि एक साथ तीन बार कहा और तलाक़ हो गया। लेकिन मुस्लिम शरीयत के हिसाब से भी ऐसा नहीं है। एक साथ तीन बार कह कर तलाक़ नहीं दिया जा सकता है। ऐसा मुस्लिम धर्म ग्रंथ में कहीं भी लिखित रूप में नहीं पाया गया है कि एक बार में ही तीन बार कह कर तलाक़ दिया जाए और ऐसा किसी पैगंबर के हवाले से भी नहीं मिलता है। अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी तरह से फोन या ईमेल के द्वारा तलाक़ देता है तो वह भी वैध नहीं माना जाएगा। जब तीन बार में एक साथ कह कर तलाक़ नहीं हो सकती तो फोन और ईमेल तो बहुत दूर की बात है।

मुस्लिम धर्म में शरीयत की नसीहत देने के बावजूद आज भी समाज में मुस्लिम पुरुष द्वारा मुस्लिम महिला को एक साथ तीन बार कह कर ऐसे ही तलाक़ दिया जा रहा है भले ही इस तलाक़ में महिला की स्वीकृति नहीं हो तब भी उसको तलाक़ दे कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तलाक़ होने पर उस महिला के परिवार वाले तलाक़शुदा महिला को अपने घर भी नहीं रखना चाहते अब ये बेदर बेसहारा महिला कहां जाए।

ऐसे ही बेदर बेसहारा महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाया, जिससे उनको सुरक्षा प्रदान हो सके और पुरुष के नाजायज़ अत्याचारों पर शिकंजा कसा जा सके, सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और हमारे सामने एक बिल तीन तलाक़ कानून के रूप में आया और 1 अगस्त 2019 को तीन तलाक़ कानून लागू हुआ।

पहली बार भारत सरकार ने 22 अगस्त 2017 को संसद में तीन तलाक़ विधेयक पेश किया। इस विधेयक पर कई विपक्षी दलों ने विरोध किया, जिसमें भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बीजू जनता दल, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि दलों के सांसद रहे। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने इस मामले को प्रवर समिति के पास भेजने की कोशिश की, फिर भी 28 दिसंबर 2017 को यह विधेयक लोकसभा में पारित करा दिया गया। क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास अपने सांसद मोजूद थे।

इस विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय में काफी बहस चली, जिसमें न्यायालय के 5 न्यायधीशों में से 3 ने माना कि तीन तलाक़ एक असंवैधानिक प्रथा है। बाकी 2 न्यायधीशों ने तीन तलाक़ यानी तलाक़ ए बिद्दत को संवैधानिक माना।

सितंबर 2018 को लगभग एक साल बाद तीन तलाक़ विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया, जिसमें मुस्लिम पति को तीन तलाक़ देने पर तीन साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया। एक बार फिर से 17 दिसंबर 2018 को इस विधेयक में कुछ संशोधन करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया गया, इस बार भी विपक्षी दलों ने इस विधेयक को राज्यसभा में पास नहीं होने दिया जिसके कारण यह विधेयक फिर अटक गया। 26 जुलाई सन् 2019 को एक लंबी बहस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक़ को अवैध घोषित कर दिया। और आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद 1 अगस्त 2019 को इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया। न्यायालय में होने वाली चर्चाओं में यह भी जिक्र किया गया कि लगभग 20 मुस्लिम देशों ने तीन तलाक़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम लॉ इन इंडिया किताब का भी हवाला दिया गया, जो ताहिर मेहमूद और सैफ मेहमूद द्वारा लिखी गई है। इस किताब में अरब देशों में तीन तलाक़ पर प्रतिबंध की बात कही गई है।

इस कानून में मुस्लिक पति का एक साथ तीन बार कहना, ईमेल, मैसेज या किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के द्वारा तलाक़ अवैध माना जायेगा और यह शर्त रखी गई कि मजिस्ट्रेट कानून को देखते हुए तभी ज़मानत दे सकता है जब पत्नी का पक्ष सुना जायेगा। इस कानून में पत्नी और बच्चों का भरण पोषण का अधिकार मजिस्ट्रेट के द्वारा तय किया जायेगा, जिसे पति को देना होगा। और छोटे बच्चों का पालन का ज़िम्मा मां को ही दिया जायेगा। मुस्लिम पुरुष बेवजह बिना किसी कारण महिला को तलाक़ देता है तो वह सज़ा और जुर्माने का ज़िम्मेदार होगा। इस्लाम में भी ऐसा ही कहा गया है।

अगर बिना ठोस कारण के पुरुष महिला को तलाक़ देता है तो उसकी खुदा के घर पकड़ होगी। मां को छोटे बच्चों को दूध पिलाने का हक, पालने का हक और खर्च, पति को देने का फ़र्ज़ है जो उसको देना ही होगा। तालिका (1) सरकार ने जो तीन तलाक़ कानून बनाया है उससे आप सहमत हैं?

(हमले इस सवाल पर मेरठ जनपद की 200 महिलाओं से बातचीत की)

क्रमांक		हां	नहीं
01	अशिक्षित महिलाएं	16	9
02	शिक्षित महिलाएं	14	6
03	घरेलू महिलाएं	18	6
04	व्यवसायिक महिलाएं	13	12
	कुल योग	**61**	**38**

इस तालिका में हमने मुस्लिम महिलाओं से प्रश्न किया, कि क्या वह सरकार द्वारा बनाए गए तीन तलाक़ कानून से सहमत हैं तो 61.5 महिलाओं का जवाब हमें हां में मिला यानी इस कानून से मुस्लिम महिलाओं में काफी खुशी है। इसमें सबसे अधिक 18.5 प्रतिशत घरेलू महिलाएं हैं जो इस कानून के बनने से खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

राय को आगे बढ़ाने के लिए एक आगे सवाल किया गया कि अगर आप इस कानून से सहमत हैं तो क्यों? अपनी कोई राय बताएं...

इस सवाल पर 45 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी कोई राय नहीं दी। इस कानून से खुश 21.5 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि यह कानून बिलकुल सही बना है क्योंकि इस्तामिक शरीयत में भी ऐसा नहीं कि पुरुष शौहर ने एक साथ तीन बार कह कर तलाक़ कहा और तलाक़ हो गया जबकि इसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई है जिसमें तीन–तीन माह का अंतराल है, पुरुष बिना कारण भी महिलाओं को एक बार में तीन दफह कह कर तलाक़ दे देते थे। इस कानून से उस पर रोक लगी है।

लगभग 20 प्रतिशत महिलाओं ने राय रखी कि अब महिलाओं को पुरुषों के भय से राहत मिली है और उनको सुरक्षा भी प्रदान हुई है। 14 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि इस कानून से पुरुषों के अत्याचारों पर रोक लगी है।

प्रश्नः 2. अगर इस कानून से सहमत नहीं हैं तो क्यों? इस पर भी अपनी राय विचार व्यक्त करें...

लगभग 38.5 प्रतिशत महिलाएं इस कानून से सहमत नहीं हैं उनका मानना है कि सरकार का हमारी शरयती क़ानून में दख़ल है (11 प्रतिशत) महिलाओं की राय। और इस कानून का महिलाएं नाजाइज़ फ़ायदा उठाएंगी जैसे दहेज प्रथा कानून या अन्य कानूनों में करती हैं।

3.5 प्रतिशत महिलाओं की राय– हम पहले अपनी शरीय को तवज्जो देंगे क्योंकि इसकी सही जानकारी नहीं होना भी एक कमी है जिसे पुरुष अपनी मनमर्ज़ी माफिक से चलाता है, अगर यही जेल में फंस गया तो हम बेसहारा हो जायेगें, सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन हमारी आगे मदद की कोई उम्मीद भी नहीं दी। शौहर पर कैस करने पर ससुराल और पिता के घर से भी बेसहारा होकर फिर हम कहां जायेंगे?

संदर्भ

1. क़ुरान ए पाक. सुरह निसा।
2. क़ुरान ए पाक. सुरह तलाक़।
3. सिंह, डा० नरेंद्र. (2015). ''मानवाधिकार और महिलाएं''. राहुत पब्लिशिंगः मेरठ।
4. गर्ग, प्रियंका. (2015). ''महिला विवाह, दहेज एवं दाम्पत्य समस्याएं''. मार्क पब्लिशर्सः वैशाली नगर, जयपुर।
5. ज़ाकिर, डा० नाइक. (2010). ''इस्लाम में औरत के अधिकार''. अल हसनत बुक्स प्रा०लि०ः दरियागंज, नई दिल्ली।
6. कौशिक, आशा. (2004). ''नारी सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथार्थ''. प्वाइंटर पब्लिशर्सः जयपुर।
7. जियाउल्लाह, मदनी शफीकुर्रहमान. (2009). ''पैगंबर सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम और महिला का सम्मान''. इस्लामी आमंत्रण एवं निर्देश कार्यालय रबयाः रियाज़, सऊदी अरब 1427.
8. अहमद, नसीम. (2003). ''वुमन इन इस्लाम''. ए०पी०एच० पब्लिशिंग कापोरेशनः नई दिल्ली।

9. व्होरा, आशारानी. (2011). ''औरत कल, आज और कल''. कल्याणी शिक्षा परिषद् जटवाड़ाः दरियागंज, नई दिल्ली।
10. इनसाइक्लोपीडिया ऑफ विमन एंड इस्लामिक कल्चर्स फैमिली वोलियम–2. लॉ एंड पॉलिटिक्स जनरल एडिटर, साऊद जोशेप।
11. महमूद, ताहिर., महमूद, सैफ. (2017). ''मुस्लिम लॉ इन इंडिया''. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग एन इंप्रिंट ऑफ लेक्सिसनेक्सिस. दूसरा संस्करण।
12. https://www.tv9hindi.com
13. https://en.wikipedia.org
14. www.aajtak.in
15. https://navbharattimes.indiatimes.com
16. https://ndtv.in
17. www.jagran.com